मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 11 फरवरी 2023

एमसीआईआर

विषयवस्तु

	खंड	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
III.	विनियमन	3
IV.	वित्तीय बाज़ार	4
V.	वित्तीय समावेशन और विकास	4
VI.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
VII.	प्रकाशन	4
VIII.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य, 8 फरवरी 2023

गवर्नर ने वर्ष 2023 के लिए अपने पहले मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा कि मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए 2023 के ऐतिहासिक महत्व का स्मरण हो रहा है। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी से, भारतीय रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में लाया गया। इस प्रकार, वर्ष 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक के सार्वजनिक स्वामित्व और एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसके उद्भव का 75वां वर्ष है। इस अवधि में मौद्रिक नीति के विकास पर संक्षेप में विचार करने का यह एक उपयुक्त क्षण है। आज़ादी के बाद के दो दशकों में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की ऋण अपेक्षाओं को समर्थन प्रदान करने की थी। अगले दो दशक 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, तेल के आघात, बड़े बजट घाटे के मुद्रीकरण तथा मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के रूप में अभिलक्षित होते हैं। 1980 के दशक के मध्य में मुद्रा आपूर्ति में संवृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने हेतु मौद्रिक लक्ष्यीकरण को अपनाया गया। 1990 के दशक की शुरुआत से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार सुधारों और संस्था निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। अप्रैल 1998 में एक बहुसंकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया जिसके अंतर्गत नीति निर्माण के लिए कई संकेतकों की निगरानी की गई। वैश्विक वित्तीय संकट और टेंपर टैंट्रम के बाद, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति बिगड़ने के कारण, मौद्रिक नीति को एक विश्वसनीय मौद्रिक अवलंब प्रदान करने हेतु लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) को औपचारिक रूप से जून 2016 में अपनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, एफआईटी ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

2. वर्तमान समय में, पिछले तीन वर्षों की अभूतपूर्व घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति ढांचे को परीक्षण पर रख दिया है। बहुत ही कम अवधि में, विश्व भर में मौद्रिक नीतियां परस्पर व्याप्त आघातों की एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया में एक चरम से दूसरे चरम पर आ गई हैं। 1990 के दशक के महान संतुलन युग और इस सदी के शुरुआती वर्षों के विपरीत, मौद्रिक नीति को आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व संकुचन के साथ वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि का सामना करना पड़ा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की गतिशीलता में संरचनात्मक परिवर्तनों और मौद्रिक नीति के संचालन के लिए उनके निहितार्थों की गहरी समझ को आवश्यक बनाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 फरवरी 2023 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

i) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत हो गई है।

ii) एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन; (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली और (iv) मुद्रा प्रबंधन, से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. वित्तीय बाजार

i) सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की शुरुआत

प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने के लिए एक सुव्यवस्थित बाजार से, सरकारी प्रतिभूति बाजार में गहनता आएगी और चलनिधि की भी प्रचुरता होगी, जिससे कुशल मूल्य खोज में मदद मिलेगी। अतः, सरकारी प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जो 'विशेष रेपो' के लिए मौजूदा बाजार को समृद्ध करेगा। आशा की जाती है कि यह प्रणाली, निवेशकों को निष्क्रिय प्रतिभूतियों को अभिनियोजित करने और पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान करके प्रतिभूति उधार बाजार में व्यापक सहभागिता की सुविधा प्रदान करेगी। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के लिए निदेशों का मसौदा अलग से जारी किया जाएगा।

II. विनियमन

2. ऋणों पर दंडात्मक प्रभारों की वसूली

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) के पास अग्रिमों पर दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालनगत स्वायत्तता है, जो उचित और पारदर्शी होगी। दंडात्मक ब्याज का आशय अनिवार्य रूप से नकारात्मक प्रोत्साहनों के माध्यम से उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन की भावना उत्पन्न करना था, लेकिन इस तरह के प्रभारों का उपयोग ब्याज की संविदागत दर के ऊपर राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षी समीक्षाओं से पता चला है कि आरई के बीच दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में अलग-अलग प्रणालियाँ प्रचलित हैं जो कतिपय मामलों में काफी अधिक थे, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद उत्पन्न हुए।

उपरोक्त संदर्भ में दंडात्मक ब्याज लगाने पर वर्तमान विनियामकीय दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि ऋण की चुकौती में देरी/चूक या ऋणकर्ता द्वारा ऋण संबंधी करार के किसी अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का पालन न करने पर उचित और पारदर्शी तरीके से 'दंडात्मक प्रभार' के रूप में दंड लगाया जाएगा और न कि 'दांडिक ब्याज' के रूप में, जोकि अग्रिमों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभार का कोई पूंजीकरण नहीं होगा अर्थात्, इसे अलग से वसूल किया जाएगा और बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि, उधारकर्ता के ऋण जोखिम प्रोफाइल में किसी भी गिरावट के मामले में, आरई, ब्याज दर पर वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रीमियम को बदलने के लिए स्वतंत्र होंगे। उपरोक्त से संबंधित दिशानिर्देश का मसौदा, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के लिए शीघ्र ही भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

3. जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त संबंधी विनियामकीय पहल

अपने अधिदेश के भाग के रूप में वित्तीय स्थिरता के साथ एक पूर्ण-सेवा वाला केंद्रीय बैंक होने के नाते, रिज़र्व बैंक यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन, विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों में परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण वित्तीय स्थिरता से संबंधित व्यापक परिणाम हो सकते हैं। अतः, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों पर आधारित एक कार्यनीति तैयार करने के लिए, सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए 27 जुलाई 2022 को जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र (डीपी) भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के विश्लेषण के आधार पर, आरई के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है:

(क) हरित जमाराशियों की स्वीकृति के लिए व्यापक रूपरेखा;
(ख) जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा, और;
(ग) जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण पर दिशानिर्देश।

ये दिशानिर्देश, चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के पास अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित वेबपेज होगा जो जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर सभी अनुदेशों, प्रेस प्रकाशनियों, प्रकाशनों, भाषणों और संबंधित आरबीआई संचार को समेकित करेगा।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

4. व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (ट्रेड्स) के दायरे का विस्तार

एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (ट्रेड्स) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद, तीन संस्थाओं ने ट्रेड्स प्लेटफार्मों का संचालन शुरू किया और दो अन्य संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से प्राधिकार प्रदान किया गया। ये संस्थाएं प्रतिवर्ष लगभग ₹60,000 करोड़ के लेनदेन प्रसंस्कृत करती हैं।

ट्रेड्स प्लेटफार्मों को और गति प्रदान करने के लिए, उनकी गतिविधि का दायरा निम्नानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से एमएसएमई के नकदी प्रवाह को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

(i) ट्रेड्स पर अब बीमा सुविधा की अनुमति दी जाएगी। यह क्रेताओं की क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान दिए बिना उनकी देय राशियों के वित्तपोषण/भुनाई को प्रोत्साहित करेगा। तदनुसार, एमएसएमई विक्रेताओं, खरीदारों और वित्तपोषकों के अलावा, बीमा कंपनियों को ट्रेड्स पर "चौथे सहभागी" के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत फैक्टरिंग कारोबार करने के लिए पात्र सभी संस्थानों/ संस्थाओं को ट्रेड्स में वित्तपोषकों के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी।

(iii) द्वितीयक बाजार परिचालन, अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। यह वित्तपोषकों को आवश्यकता पड़ने पर उसी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के भीतर अन्य वित्तपोषकों को अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को भारी मात्रा में बिक्री करने की अनुमति देगा।

5. भारत में आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई उपलब्ध करवाना

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) भारत में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए एक सर्वव्यापी भुगतान साधन बन गया है। हाल ही में उन अनिवासी भारतीयों को यूपीआई एक्सेस प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिनके पास अपने एनआरई/एनआरओ खातों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर हैं। अब भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान उनके व्यापारिक भुगतान (पी2एम) के लिए यूपीआई एक्सेस करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। शुरुआत में, यह सुविधा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले जी-20 देशों के यात्रियों को दी जाएगी। आगे चलकर, यह सुविधा देश के अन्य सभी प्रवेश बिंदुओं पर सक्षम हो जाएगी। आवश्यक परिचालनगत अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

IV. मुद्रा प्रबंधन

6. क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन – प्रायोगिक परियोजना

आम जनता के बीच सिक्कों के वितरण में सुधार करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर एक प्रायोगिक परियोजना तैयार कर रहा है। क्यूसीवीएम एक नकदी रहित कॉइन वितरण मशीन है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके ग्राहक के बैंक खाते से नामे किए गए राशि के बदले में सिक्कों का वितरण करेगी।

नकद-आधारित पारंपरिक कॉइन वेंडिंग मशीन के विपरीत, क्यूसीवीएम बैंकनोटों की भौतिक भुनाई और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। ग्राहकों के पास क्यूसीवीएम में आवश्यक मात्रा और मूल्यवर्ग में सिक्कों के आहरण का भी विकल्प होगा।

प्रायोगिक परियोजना को शुरू में देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर लागू करने की योजना है। इन वेंडिंग मशीनों को आसानी और पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों, जैसे, रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल, मार्केटप्लेस पर स्थापित किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, क्यूसीवीएम का उपयोग करके सिक्कों के बेहतर वितरण को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इकतालीसवीं बैठक 6-8 फरवरी 2023 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत; रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2023 को, अर्थात् मौद्रिक नीति समिति की बैठक के 14वें दिन बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त प्रकाशित किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केंद्रीय बोर्ड की बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 600वीं बैठक 11 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य की माननीय केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को संबोधित कर उनसे बातचीत की। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित प्रमुख क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। बजट पर वित्त मंत्री की सराहना करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के विचारार्थ कतिपय सुझाव प्रस्तुत किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता

श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने 21 फरवरी 2023 को भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, मौद्रिक प्राधिकरण, सिंगापुर द्वारा UPI-PayNow सहबद्धता का उपयोग करते हुए टोकन लेनदेन के माध्यम से इस सुविधा की शुरूआत की गई।

UPI-PayNow सहबद्धता दोनों देशों में दो त्वरित भुगतान प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को उनके संबंधित मोबाइल ऐप का उपयोग करके सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित और लागत प्रभावी सीमापारीय निधि अंतरण में सक्षम करेगा। बैंक खातों या ई-वॉलेट में उपलब्ध निधियों को केवल यूपीआई-आईडी, मोबाइल नंबर, या आभासी भुगतान पता (वीपीए) का उपयोग करके भारत में/से अंतरित किया जा सकता है।

शुरुआत में, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आवक और जावक दोनों तरह के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया आवक विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे। सिंगापुर के उपयोगकर्ताओं के लिए, यह सेवा डीबीएस-सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप (एक गैर-बैंक वित्तीय संस्थान) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

सहभागी बैंकों के ग्राहक, बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप/ इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सिंगापुर के लिए सीमापारीय विप्रेषण कर सकते हैं। एक भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में ₹60,000 (लगभग 1,000 एसजीडी के बराबर) तक विप्रेषित कर सकता है। लेन-देन करते समय, प्रणाली उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु गतिशील रूप से दोनों मुद्राओं में राशि की गणना करेगी और उसे प्रदर्शित करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि

रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 2023 को भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) की स्थिति को अद्यतन किया। रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9 जून 2022 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों को विशेष फोकस क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023

रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2023 को अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - एचएआरबीआईएनजीईआर 2023 की शुरुआत 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ की। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच बढ़ाने और ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाने की क्षमता है। हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 22 फरवरी 2023 से शुरू हुआ।

एचएआरबीआईएनजीईआर 2023 निम्नलिखित समस्या विवरणों के लिए नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित करता है:

i) दिव्यांगों के लिए नवोन्मेषी, उपयोग में आसान, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं।

ii) विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान।

iii) ऑफलाइन मोड में लेनदेन सहित सीबीडीसी-खुदरा लेनदेन के लिए उपयोग के मामलों/समाधानों की खोज करना।

iv) लेनदेन प्रति सेकंड (टीपीएस) / थ्रूपुट और ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाना।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनईएफटी और आरटीजीएस में लेनदेन कोड

रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2023 को एनईएफ़टी और आरटीजीएस प्रणाली में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफ़सीआरए) संबंधी लेनदेन कोड जारी किए। एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के अंतर्गत, विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के 'एफसीआरए खाते' में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। एफसीआरए खाते में अंशदान सीधे विदेशी बैंकों से स्विफ्ट के माध्यम से और भारतीय मध्यस्थ बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आगंतुक यात्रियों के लिए यूपीआई

रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2023 को भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान स्थानीय भुगतान करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सुविधा प्रदान की। यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के लिए उपलब्ध है। पात्र यात्रियों को मर्चेंट आउटलेट्स पर भुगतान करने के लिए यूपीआई से जुड़े प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) वॉलेट जारी किए जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड यूपीआई से जुड़े वॉलेट के जारीकर्ता हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विनियमन

बैंक दर में परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने 8 फरवरी 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ब्याज दर जोखिम

रिज़र्व बैंक ने 17 फरवरी 2023 को बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए, जिसके अंतर्गत बैंकों को निर्धारित ब्याज दर आघात परिदृश्यों के समूह के आधार पर गणना किए गए इक्विटी के आर्थिक मूल्य और निवल ब्याज आय में संभावित बदलाव के संदर्भ में आईआरआरबीबी के लिए अपने जोखिम को मापना, निगरानी करना और प्रकट करना अपेक्षित है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय लेखा मानक

रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2023 को अप्राप्त आय की निरंतर मान्यता से उत्पन्न होने वाली विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया कि भारतीय लेखा मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी), पूंजी पर्याप्तता अनुपात और लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि की गणना करते समय अपनी निवल स्वाधिकृत निधि से निम्नलिखित राशियों को घटायेंगी:

i) आयोजना अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त प्रबंधन शुल्क, जो आयोजना अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों के बाद अप्राप्त रहती है।

ii) आयोजना अवधि की समाप्ति के बाद मान्यता प्राप्त प्रबंधन शुल्क जो ऐसी मान्यता के बाद 180 दिनों से अधिक अप्राप्त रहती है।

iii) उस अवधि का संज्ञान लिए बिना जिसके लिए यह अप्राप्त रही है, ऐसी कोई भी अप्राप्त प्रबंधन शुल्क, जहां प्रतिभूति प्राप्तियों का शुद्ध आस्ति मूल्य अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाज़ार

चलनिधि समायोजन सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 8 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सहमति से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत हो गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बाज़ार कारोबार का समय

रिज़र्व बैंक ने 8 फरवरी 2023 को सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार के कारोबार समय को पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक से पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक बहाल करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सोमवार, 13 फरवरी 2023 से, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए संशोधित कारोबार समय निम्नानुसार है:

बाज़ार	समय
मांग/ सूचना/ मियादी मुद्रा	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे
सरकारी प्रतिभूतियों में बाज़ार रेपो	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 2:30 बजे
सरकारी प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे
वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे
कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋण और खजाना बिल	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे
विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सहित विदेशी मुद्रा (एफ़सीवाई)/भारतीय रुपया (आईएनआर) व्यापार*	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे
रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव*	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे
* मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों पर व्यापारित होने वालों के अलावा	

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय समावेशन और विकास

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023

रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2023 को 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक चलने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 (एफ़एलडब्ल्यू) की शुरुआत की घोषणा की। वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय है- **"सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव"**। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करते हुए वित्तीय आघात-सहनीयता का सृजन करना और उनके हित को बनाए रखना है। इसमें, बचत, आयोजना और बजट तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

सचेतक सूची

रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2023 को संस्थाओं/प्लेटफ़ॉर्मों/वेबसाइटों की एक अद्यतन सचेतक सूची जारी की, जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म (ईटीपी) संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं। 3 फरवरी 2022 को, रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के विरुद्ध जनता को आगाह किया था और 7 सितंबर 2022 को ऐसी संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

कारोबार निरंतरता उपायों का संकलन

कोविड-19 महामारी के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कारोबार निरंतरता उपायों पर एक संकलन 17 फरवरी 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, उप गवर्नर द्वारा विमोचित किया गया। इस संकलन में कोविड-19 महामारी के विरुद्ध आरबीआई के संघर्ष के विवरण को समाहित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 17 फरवरी 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का फरवरी 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में 6-8 फरवरी 2023 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, एक भाषण, छः आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2023 माह के दौरान जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	आंकड़े
1.	दिसंबर 2022 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी
2.	वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (जुलाई – सितंबर) के लिए भारत की अदृश्य मदें
3.	राष्ट्रीय आंकड़ा सारांश पृष्ठ (एनएसडीपी)
4.	जनवरी 2023 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
5.	2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए बैंक ऋण सर्वेक्षण
6.	ईसीएस/एनईएफ़टी/आरटीजीएस/ मोबाइल लेनदेन की बैंकवार संख्या

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।